संख्या- 48/2017/सा0-148/सात-न्याय-1-17-86/2004

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ- दिनांक 22 जून, 2017

विषय- मा0 उच्च न्यायालय में मा0 न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 40 लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के अतिरिक्त पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त निबन्धक (न्याय/निरीक्षण),मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1800/2017/अधि0 जी-।। सेक्0, दिनांक 06-02-17 एवं पत्र संख्या- 4600/2017/अधि0 जी-।।-सेक0, दिनांक 10-04-17 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 2053/सात-न्याय-1-07-86/2004, दिनांक 02-08-2007 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में मा0 न्यायमूर्तिगणों के सहायतार्थ 95 लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के पदों का सृजन नियत मानदेय पर किया गया था। इसी के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में मुकदमों की बढती संख्या के कारण विधिक बिन्दुओं पर कानूनों को तलाशने में मा0 न्यायमूर्तिगण के लगने वाले बहुमूल्य समय के बचत के उददेश्य से सुसंगत तथ्य, निर्णयज-विधि को खोजकर मा0 मुख्य न्यायाधिपति एवं अन्य मा0 न्यायमूर्तिगण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में न्यायमूर्तिगणों के सृजित 160 पदों के सापेक्ष प्रभावी संख्या-135 को आधार मानकर लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के 40 अतिरिक्त पद नियत मानदेय रू0 12,500/- प्रतिमाह पर इस शर्त के अधीन दिनांक 28-02-2018 तक सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि 95 मा0 न्यायमूतिर्गण की नियुक्ति के पश्चात जैसे जैसे मा0 न्यायमूर्तिगण की नियुक्ति होगी उनके सापेक्ष लॉ क्लर्क (ट्रेनी) को नियुक्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- नवसृजित लॉ क्लर्क (ट्रेनी) के पदों पर नियुक्तियां शासनादेश संख्या- 2053/सात-न्याय-1-07-86/2004, दिनांक 02-08-2007 में विहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक-''2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-07-मानदेय (भारित) के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-12-638/दस/2017,दिनांक 07 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/- रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

संख्या-48/2017/सा0-148(I)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी एवं आडिट-।।) उ0;प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
3- निबन्धक (लेखा), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
7- न्याय अनुभाग-9/बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/विधि परामर्शी पुस्तकालय।
8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0/- विपिन कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in